प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–13.06.2017 को अपराह्न 5:15 बजे से विभागीय पैनल अधिवक्ताओं एवं प्रशाखा–08 के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के साथ तथा प्रतिशपथ पत्र दायर करने वाले प्राधिकृत पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति :–

(क) सरकार के विशेष सचिव, वरीय प्रभारी पदा0, प्रशाखा–08
(ख) सभी पैनल अधिवक्ताएं (सुची संलग्न) उपस्थित
(ग) श्री शिव प्रसाद राम, अवर सचिव, न0वि0एवंआ0वि0,
(घ) श्री राम सेवक प्रसाद, अवर सचिव, न0वि0एवंआ0वि0,
(ङ) श्री सुबोध कुमार, सहायक अभियंता, न0वि0एवंआ0वि0
(च) श्री विकास कुमार, सहायक अभियंता, न0वि0एवंआ0वि0

उपस्थित

(1) सर्वप्रथम सभी पैनल अधिवक्ताओं से परिचय प्राप्त कर विभागीय कोर्ट केश में तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु रूचि की जानकारी प्राप्त किया गया है। इस संबंध में सभी उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं ने एक मत से कार्य करने की सहमति प्रदान की। श्री नित्यानंद मिश्रा एवं श्री राजेश कुमार पैनल अधिवक्ता ने अपने द्वारा पूर्व में किये गये कार्य का बकाया राशि भूगतान नहीं किये जाने की सूचना दी। इस संबंध में श्री आशुतोष कुमार उच्च वर्गीय लिपिक को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर नियमानुसार बकाया राशि तथा अन्य पैनल अधिवक्ताओं द्वारा भी किये गये कार्य की राशि शीघ्र भूगतान करने का निदेश दिया गया। **कार्रवाई——सभी पैनल अधिवक्ता एवं श्री आशुतोष कुमार।**

(2) श्री गोपी झा पैनल अधिवक्ता को निदेश दिया जाता है कि वे पूर्व में प्राप्त सभी संचिकाओं पर गुणवत्तायुक्त SOF तैयार कर पत्र प्राप्ति के 20 दिनों के अन्दर कार्यालय के संबंधित प्रशाखा में निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। **कार्रवाई—— श्री गोपी झा, पैनल अधिवक्ता**

(3) प्रशाखा 8 में प्राप्त रिट याचिका पर तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु पैनल अधिवक्ताओ का नाम रोस्टर अनुसार अंकित किये जाने हेतु निदेश दिया जाता है। **कार्रवाई——प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा–8.**

(4) तथ्य विवरणी के Soft copy की प्राप्ति हेतु एक अलग E-mail ID बनाया जाय, तैयार E-mail ID संख्या सभी पैनल अधिवक्ताओं को दिया जाएगा, जिस पर तैयार गुणवत्ता युक्त तथ्य विवरणी की साफ्ट कॉपी सभी पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा विभाग को Upload करेंगे। **कार्रवाई श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 मैनेजर एवं सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी पैनल अधिवक्ता।**

(5) संबंधित प्रशाखा द्वारा जो भी तथ्य विवरणी तैयार हेतु संचिका पैनल अधिवक्ता को दिया जाएगा, उसके साथ वस्तुस्थिति से संबंधित सभी कागजात एवं संचिका भी उपलब्ध करायी जाएगी। **कार्रवाई——सभी प्रशाखा पदाधिकारी।**

(6) अनुमोदित तथ्य विवरणी पटना उच्च न्यायालय के संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं को भेजा जाने वाला पत्र मे उनके नाम एवं पूर्ण पदनाम तथा संख्या अंकित कर यह दर्शाते हुए उनके E-mail ID पर भेजा जाएगा तथा पत्र द्वारा संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं को सूचित किया जाएगा कि SOF की Soft copy आपके E-mail ID पर भेज दिया गया है। श्री राधा गोविन्द जी, सहायक संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं का E-mail ID प्राप्त कर प्रशाखा–08 एवं श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 मैनेजर को उपलब्ध करायेगें। **कार्रवाई– श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 मैनेजर एवं श्री राधा गोविन्दजी, सहायक तथा प्रशाखा–8**

(7) श्री राधा गोबिंद जी, सहायक नगर विकास एवं आवास विभाग को निदेश दिया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय के संबंधित सरकारी अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित कर भेजे गये अनुमोदित तथ्य विवरणी पर अबिलंब प्रतिशपथ पत्र पर दायर कराने की कार्रवाई करेंगे। इसी आशय का निदेश उपस्थित सभी

पैनल अधिवक्ताओ एवं प्राधिकृत पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को भी दिया गया। **कार्रवाई—— श्री राधा गोबिंदजी, सहायक, सभी पैनल अधिवक्ता एवं सभी प्राधिकृत पदाधिकारी।**

(8) श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, न0वि0एवंआ0वि0 दिनांक 30.06.2017 को सेवा निवृत होने जा रहे है। वर्तमान परिस्थिति में श्री कुमार को किसी भी कोर्ट केश में प्राधिकृत पदाधिकारी रूप में नामित नही किया जाएगा। **कार्रवाई——सभी प्रशाखा के प्रभावी पदाधिकारी।**

(9) प्रशाखा 8 के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वे प्रत्येक माह में एक बार सभी पैनल अधिवक्ताओं/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी के साथ बैठक निर्धारित कर कोर्ट केश से संबंधित प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं सम्पन्न बैठक की कार्यवाही प्रति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे।

(10) श्री अवधेश कुमार पंडित, एवं श्री विजय कुमार मिश्रा पैनल अधिवक्ता मुख्यालय से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहे।

अंत में सधन्यवाद ज्ञापन कर बैठक समाप्त की गयी।

15/6/2017

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 166 /न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः- 16-06-17

प्रतिलिपि :- विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, नगर निवेशन संगठन/सभी पैनल अधिवक्ताऐं/विभाग के सभी पदाधिकारी गण/सभी प्रशाखा पदाधिकारी / श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री आशुतोष कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक/एम0आई0एस0 के प्रभारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/2017

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

D:\format.doc